राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से
1.	3736 / 2025 शिवसिंह	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	31.07.2025	श्री राजकुमार गोयल, अभिभाषक
2.	3737 / 2025 किशन सिंह			

आदेश की दिनांक : 05.08.2025

समक्ष :– **चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3497 / 2025 श्री शिवसिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पम्प चालक के पद पर सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डीग में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मस्टर रोल के पद पर दिनांक 01.03.1992 को दैनिक वेतन भोगी के रूप में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को हेल्पर के पद पर दिनांक 01.03.1994 को अर्द्ध–स्थाई घोषित कर नियुक्त किया जाकर चयनित वेतनमान श्रृंखला 775 / – में वेतन निर्धारण किया गया। जबकि अपीलार्थी को पम्प चालक का वेतनमान 950 / – दिनांक 01.03.1994 से दिया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2005 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को 10 वर्ष बाद स्थायी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिकों को प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से ही पम्प चालक का कार्यभार सौपा गया था। लेकिन अन्य समान कार्मिकों को अर्द्ध–स्थायी स्थिति की तिथि से ही पम्प चालक का वेतनमान दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पम्प

चालक का वेतनमान अर्द्ध–स्थायी की तिथि से दिये जाने का अनुरोध किया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3040/1989 दुर्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.12.1994 (अनुलग्नक–3) एवं अपील संख्या 3648/1989 सोहन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.1994 (अनुलग्नक–4) तथा अधिकरण में दायर अपील संख्या 3413/2025 राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1994 से पम्प चालक के पद पर नियुक्ति मानते हुए अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिकों की नियुक्ति तिथि से अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

4. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 3736/2025 श्री शिवसिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य